

20.10.23

पत्रावली वेबसाइट पर वकील वकील लॉजिस्टिक्स
नहीं है। पत्रावली फरवरी, 2023 से
तलकी में बांकीत है, तलकी पूरा नहीं
करवायी जा सकी है। आज आगामी

पत्रावली



क्र०स०

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा
वाही

20/10/2023

में तीन-तीन आवर्जें लागवाने के
 उपरांत भी खातिर नहीं आने पर
 बाद कर्तव्य वाकत घोषणा, तदनुसार
 प्रत्येक विवेधादा का अंकित 0-9, R-3
 जा. के एवं 0-9, R-5 जा. के के
 तहत एक ही खातिर किया जाता
 है। पत्रावली कंपल सुधार लेकर
 अंतर के काम को जाकर वास्तव
 करवा ले। निर्णय सुले न्यायालय
 में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर
 व न्यायालय सुप्री से जारी किया
 गया।

Kan

उपसुपड अधिकारी
सांभर लेक